# भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

नामांतरण अपील वाद सं0-07/2015-16

**सिन्धु देवी बनाम अंचल अधिकारी, गम्हरिया।**

## आदेश

29-11-17

यह अभिलेख सिन्धु देवी पति स्व0 साधुचरण महतो निवासी-ग्राम-बरगीडीह, पो0-आदित्यपुर, थाना-आर0आई0टी0, जिला-सरायकेला-खरसावाँ के अपील आवेदन पर अंचल अधिकारी, गम्हरिया द्वारा नामांतरण वाद सं0-427/2015-16 में दिनांक 11.07.15 को पारित आदेश के विरुद्ध खोला गया है। मामला दायर करने में विलम्ब होने के फलस्वरुप लिमिटेशन एक्ट की धारा-5 के तहत अलग से आवेदन प्रस्तुत किया है।

अपील सुनवाई हेतु स्वीकार किया गया। निम्न न्यायालय से संबंधित अभिलेख का मांग किया गया और उत्तरवादी को सूचना दी गई।

अपीलकर्त्ता को सुना एवं उत्तरावादी अंचल अधिकारी से आवेदित भू-खण्ड के संबंध दखल कब्जा की स्थिति संबंधी जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई है।

अभिलेख के उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया तथा आवेदित जमीन के दखल कब्जा संबंधी जाँच प्रतिवेदन देखा।

अपीलकत्ता ने अपने आवेदन में कहा है कि यह खतियानी एवं जमाबंदी रैयति का एक मात्र उत्तराधिकारी है। उनके पैतृक भूमि सम्पत्ति का एक मात्र उत्तराधिकारी को हैसियत से उत्तराधिकारी नामांतरण कराकर लगान भुगतान करना चाहती है। उनका कहना है कि मौजा-कृष्णापुर, थाना नं0-132 के रिविजन सर्वे खाता नं0-71 रैयत विभूति महतो के नाम पर रेकार्ड दर्ज है तथा आसंगी थाना नं0-131 के रिविजनल सर्वे खाता नं0-168, रैयत विनति उर्फ विनोता महतो के नाम पर रेकार्डयुक्त है। उक्त दोनों रैयत भाई-बहन है जिसके पिता स्व0 जगन्नाथ महतो है। रैयत विभूति महतो अविवाहित अवस्था में ही मृत्यु हो चुकी है। इसलिए बहन विनति उर्फ विनोता महतो उक्त दोनों खाताओं का भूस्वामी बने। विनोता के देहान्त के पश्चात् उनके एक मात्र पुत्र स्व0 साधुचरण महतो उत्तराधिकारी के हैसियत से भूमिस्वामी बने। स्व0 साधुचरण महतो का भी देहान्त हो चुका है। वर्तमान में साधुचरण महतो की पत्नी सिन्धु देवी एवं पुत्री अरुपा महतो पति अनंत विजय महतो उत्तराधिकारी है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा उक्त दोनों मौजा कृष्णापुर थाना नं0-132 तथा आसंगी थाना नं0-131 का आदित्यपुर अधिसूचित क्षेत्र के वार्ड सं0-14 बना है एवं एन.ए.सी. सर्वे 1983 में एन.ए.सी. वार्ड नं0-14 के खाता नं0-190 तथा 191 में दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा कि निम्न न्यायालय ने खतियानी एवं जमाबंदी रैयत की जीवित पुत्र वधु के बयान एवं शपथ पत्र को अस्वीकार कर साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 की अनदेखा किये है तथा उत्तराधिकारी नामांतरण नियम एवं प्रक्रिया के विपरित आदेश पारित

किये है। उन्होंने कहा कि उत्तराधिकारी नामांतरण में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 का उल्लंघन नहीं होता और न अधिनियम में इस तरह की प्रावधान है। यह मात्र जीवित उत्तराधिकारी रैयतों से लगान वसूली हेतु नामांतरण का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारी द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि एन.ए.सी. वार्ड नं0-14 के अन्तर्गत खाता नं0-191 मौजा आसंगी थाना नं0-131 के खाता नं0-168, प्लॉट नया प्लाट नं0-1407, 1408, 1409, 1410, 1412, 1413, 1419 एवं 1420 बना है, जो पुराना प्लॉट 92 एवं 93 से बना है। इसकी कुल रकवा क्रमशः 1.70 एकड़ तथा 0.22 एकड़ कुल रकवा 1.92 एकड़ है।

उसी प्रकार मौजा कृष्णापुर थाना नं0-132 भी एन.ए.सी. वार्ड नं0-14 में सन्निहित है और उसके अन्तर्गत खाता नं0-191, प्लॉट नं0-895, 896, 897 एवं 899 रिविजन सर्वे 1961 के खाता नं0-71 प्लॉट नं0- 487 रकवा 1.19 एकड़ से बना है।

अंचल अधिकारी, गम्हरिया द्वारा अंचल अमीन से सरजमीन के बराबर दखल संबंधी प्रतिवेदन प्रेषित किये है जिसमें आवेदित जमीन मौजा आसंगी, थाना नं0-131, खाता नं0-168, प्लॉट नं0-92, रकवा-1.70 एकड़ तथा प्लॉट नं0-93 रकवा-0.22 एकड़ कुल रकवा 1.92 एकड़ तथा मौजा कृष्णापुर, थाना नं0-132, खाता नं0-71, प्लॉट नं0-487 रकवा 1.19 एकड़ पंजी-II में विनाती महतो के नाम पर लगान चालु है, जो पंजी-II विभूति महतो के नाम पर लगान चालु है।

स्पष्ट है कि आवेदित जमीन रैयती खाता से संबंधित है। पंजी-II रैयत का देहान्त होने के पश्चात उनके उत्तराधिकारी द्वारा लगान भुगतान हेतु पंजी-II में नाम प्रविष्टि हेतु आवेदन दिये है। यह अन्तरण की श्रेणी में नही आता। इसलिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46'B' के तहत अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

पंजी-II रैयत विनाती महतो पिता जगन्नाथ महतो तथा पंजी-II रैयत विभूति महतो पिता जगन्नाथ महतो का उत्तराधिकारी आवेदन है या नहीं यह विचारणीय विषय है जिस पर निम्न न्यायालय द्वारा स्पष्ट परीक्षण नहीं किया गया है और न तो आवेदक को साक्ष्य पेश करने का उचित समय दिया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, गम्हरिया द्वारा नामांतरण वाद 427/15-16 में दिनांक 11.07.15 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है तथा अभिलेख अंचल अधिकारी, गम्हरिया को रिमान्ड बेक किया जाता है।

तद्नुसार अपील आवेदन निष्पादित।

लेखापित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।